AADHAAR

राज्य पंजीयक आधार परियोजना, राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आधार ऑपरेटर बनने की प्रक्रिया

यदि आप रजिस्ट्रार, सूचना प्रौघोगिकी और संचार विभाग के अधीन आधार ऑपरेटर बनना चाहते है तो निम्न प्रकिया की पालना करे:–

1. आधार ऑपरेटर बनने हेतु उम्र की कोई सीमा नहीं है। कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास व न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए uidai.nseitexams.com पोर्टल पर जाकर अकाउंट बनाएँ व फार्म भरकर डिटेल्स सबमिट करे। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, एग्जाम डेट लेने के लिए ऑनलाईन साईट से ही पेमेन्ट करे। अब आप परीक्षा दिनांक डालकर परीक्षा देने जा सकते है। अगर आप पास हो जाते है तो उसी समय सर्टिफिकेट मिल जायेगा।
2. उपरोक्त पात्रता पूर्ण करने पर और जिला प्रशासन द्वारा आधार केन्द्र खोलने व उसके लिए आवेदन मांगने की सूचना जारी होने पर, आप भी आवेदन करने के पात्र होगे।
3. जिलास्तरीय आधार मोनेटरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, बैठक में यह निर्धारित करती है कि जिले में आधार केन्द्र कहाँ–कहाँ खोले जायेगें। इसके लिए शहरी /ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी परिसर को चिन्हित किया जाता है ओर वहां आधार केन्द्र खोलने की सार्वजनिक सूचना जारी होती है।
4. केन्द्र खोलने का स्थान चिन्हित हो जाने, आवेदन आमंत्रित किये जाने और आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति इन आवेदनो का परीक्षण कर ऑपरेटरो का चिन्हिकरण करती है।
5. चिन्हित ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग के प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यम से जिलास्तर से जयपुर मुख्यालय मय् समस्त दस्तावेजों के प्रेषित किये जाते है।
6. यूआईडीएआई, नई दिल्ली द्वारा ऑपरेटर ऑनबोडिंग के प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ऑपरेटर को सीधे ही सूचित किया जाता है और क्रेडेन्शियल की जानकारी दी जाती है।
7. ऑपरेटर को क्रेडेन्शियल जारी होने के बाद उसे सिक्योरिटी की निर्धारित राशी ऑनलाईन सरकारी खाते में जमा करवानी होती है। राशी जमा करवाने का प्रमाणिकरण हो जाने के बाद ऑपरेटर की मशीन/किट को जयपुर मुख्यालय द्वारा रजिस्टर किया जाता है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद ऑपरेटर नामांकन व अघतन का कार्य कर सकता है।

नोटः– ऑपरेटर के लिए आवेदन, चिन्हीकरण/ऑनबोर्ड व रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए (निर्धारित पेनल्टी सिक्योरिटी राशी को छोड़कर) किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कृपया सूचित रहें।